राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान
जयपुर

अपील क्रमांक :— 1354/2013

श्री जयसिंह बालावत

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य

दिनांक :— 03.09.2013

समक्ष :— श्री बी.बी.महान्ति, अध्यक्ष
श्री अनिल जैन, सदस्य

आदेश

अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी की ओर से अपील प्रस्तुत हुई। मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम 1976 की धारा 4 ए के उपबंध में शिथिलता प्रदान कर अपील पर सुनवाई की जाती है।

अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अपील ग्राह्य की जाती है।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर अन्तरिम आदेश दिया जाता है कि विवादग्रस्त आदेश दिनांक 26.08.2013 (प्रदर्श–6) की पालना में अपीलार्थी से कनिष्ठ को अधिकरण के अग्रिम आदेश तक पदोन्नति का क्रियान्वयन (Operation) पर रोक लगाई जाती है।

प्रत्यर्थीगण को दिनांक 15.10.2013 के जवाब अपील एवं स्थगन प्रार्थना पत्र के नोटिस जारी हो।

अपीलार्थी अथवा उनके अभिभाषक द्वारा दो सप्ताह में प्रत्यर्थीगण के नोटिस, अपील मय प्रलेख की प्रति प्रस्तुत किये जावे, नोटिस प्रस्तुत होने पर प्रत्यर्थी के नोटिस अपीलार्थी के अभिभाषक को दस्ती दिये जावें। इन निर्देशों की पालना न करने पर उक्त स्थगन आदेश स्वतः ही प्रभावहीन हो जावेगा।

पत्रावली जवाब एवं तामील हेतु समक्ष रजिस्ट्रार प्रस्तुत हो।

प्रमाणित प्रतिलिपि
रजिस्ट्रार
सिविल सेवा अपील अधिकरण
राजस्थान–जयपुर

(अनिल जैन)
सदस्य

(बी.बी.महान्ति)
अध्यक्ष

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 19 ( ) 13/कार्मिक–राज/प्रमुवसं/6095–6112 दिनांक– 5/9/13

प्रतिलिपि निर्देशानुसार निम्नांकित को पालनार्थ प्रेषित है:—

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त, राज.जयपुर।
2. अति0प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राज.जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक,
   अजमेर/जयपुर/उदयपुर/भरतपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर।
4. मुख्य वन संरक्षक,
   वन्य जीव, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/भरतपुर।
5. मुख्य वन संरक्षक,
   विभागीय कार्य, जयपुर/बनास नदी परि0 जयपुर/आर.वी.पी.कोटा/अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, जयपुर/सिल्वीकल्चर, जयपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक एवं सदस्य सचिव, राजस्थान स्टेट मेडिसिनल प्लान्ट् बोर्ड, जयपुर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर/चूरू/अजमेर।

(शिखा मेहरा)
मुख्य वन संरक्षक (संस्थापन),
राजस्थान, जयपुर।